न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 79/2021

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।
——प्रार्थी

बनाम

1. विकास पुत्र मोहनलाल, जाति जाट, निवासी बासयाना भाटीवाड, पुलिस थाना गुढागौडजी।
2. शेरसिंह पुत्र चन्दगीराम, जाति जाट, निवासी खाखीला की ढाणी तन नंगली, पुलिस थाना खेतडीनगर, जिला झुंझुनूं।

——अप्रार्थीगण

अभियोग संख्या 67/2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना पचेरी कलां मे जप्तशुदा डीजल का धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत निस्तारण बाबत।

——

उपस्थितः–

1. श्री अनामिका, विभागीय प्रतिनिधि —प्रार्थी की ओर से।
1. श्री महेन्द्र कुमावत, एडवोकेट —अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.09.2021

प्रार्थी जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.2021 को मुकदमा मुस्तगीस श्री ज्ञानसिंह चौधरी आर0पी0एस0 वृताधिकारी वृत बुहाना ने एक फर्द जप्ती इस आशय की पेश की कि मन ज्ञानसिंह चौधरी आर0पी0एस0 वृताधकारी वृत बुहाना मय जाब्ता श्री भीमसिंह कानि0 मय सरकारी गाडी मय चालक श्री घनश्याम कानि0 1204 के समय 09.00 एएम पर वृत कार्यालय बुहाना से राजकार्य हेतु रवाना होकर समय करीब 09.25 पीएम पर पुलिस थाना सिंघाना पहुंचा जहां पर जिला स्पेशल टीम प्रभारी श्री कल्याण सिंह सउनि मय जाप्ता श्री अजय कुमार कानि0 284, सुरेन्द्र कानि0 1354, विकम कानि0 1265, सुरेश कानि0 877 मय सरकारी कैम्पर गाडी न0 आरजे 18 यूबी 8973 मय चालक अंकित कानि0 1329 मय क्यूआरटी टीम प्रभारी श्री भीमसिंह एचसी नं0 2567, मय जाप्ता संजय कानि0 1373, नेमीचन्द कानि0 1384, राधेश्याम कानि0 1129 मय सरकारी गाडी नं0 आरजे 18 यूबी 0382 मय चालक अंकित कानि0 1396 को हमराह लेकर वास्ते करने कार्यवाही स्पेशल एक्ट एवं इलाका गश्त हेतु समय 10.00 एएम पर थाना से रवाना होकर कस्बा सिंघाना, भोदन, मुरादपुर, डूमोली मे गश्त करते हुए नारनौल सिंघाना रोड पर पचेरी खुर्द से पहले टोल बूथ के नजदीक आम सडक पर समय 10.30 एएम पर पहुंचे तो वहां पर एक बिना नम्बरी पिकअप गाडी खाडी दिखाई दी। पिकअप गाडी के पीछे डाले मे दो शख्स खडे नजर आये जो अचानक पुलिस जाप्ता मय सरकारी गाडी को बावर्दी देखकर पिकअप गाडी को छोडकर भागने लगे तो मन वृताधिकारी ने हमराही जाप्ते की मदद से घेरा देकर डिटेन किया। डिटेनशुदा उक्त दोनो शख्सान को हिदायत

देकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम विकास पुत्र श्री मोहनलाल जाति जाट निवासी बासयाना भाटीवाड पुलिस थाना गुढागौडजी तथा दूसरे शख्स ने अपना नाम शेरसिंह पुत्र श्री चन्दगीराम, जाति जाट, उम्र वर्ष निवासी खाखीला की ढाणी तन नंगली पुलिस थाना खेतडी नगर जिला झुंझुनूं का होना बताया। डिटेनशुदा उक्त दोनो शख्सान विकास व शेरसिंह से मन वृत्ताधिकारी ने भागने का कारण पूछा तो सकपकाते हुए दोनो ने बताया कि हम पिकअप गाडी के अन्दर अवैध डीजल–पेट्रोल भरकर बच रहे थे। इसलिए डर के मारे भाग रहे थे। जिस पर डिटेनशुदा दोनो शख्सान विकास व शेरसिंह को हमराह लेकर पिकअप गाडी के पास पहुंचा व पिकअप गाडी को चैक किया तो पिकअप गाडी के पीछे डाले के अन्दर दो ड्रम लाल रंग, चार ड्रम नीले रंग, तीन ड्रम हरे रंग के डीजल से भरे हुए व एक 20 लीटर का छोटा ड्रम बरंग नीला पेट्रोल से भरा हुआ, दो लोहे की नापनी, एक बैरल पम्प, एक प्लास्टिक का कीमा मिला। शख्स मजकुरान के कब्जे मे मिली पिकअप गाडी का निरीक्षण किया गया तो पिकअप गाडी के आगे पीछे नम्बर प्लेट नही लगी हुई है। पिकअप गाडी के आगे के हिस्से का रंग सफेद है तथा पिकअप के डाले का रंग भूरा है। आगे मैन शीशे के नीचे बाडी पर शुभ–लाभ लिखा है। पिकअप गाडी के ईंजन नम्बर GHC1L90684व चैचिस नम्बर MA1ZC4GHKC1L82140है। डिटेनशुदा शख्स विकास व शेरसिंह से पूछने पर बताया कि पिकअप गाडी मे रखे नो प्लास्टिक ड्रमों मे करीबन 1530 लीटर अवैध डीजल व एक छोटे प्लास्टिक के ड्रम मे करीबन 20 लीटर अवैध पेट्रोल भरा हुआ है। डिटेनशुदा उक्त दोनो शख्सान विकास व शेरसिंह से इतनी मात्रा मे अवैध डीजल भरकर बेचने बाबत लाइसेन्स व अनुज्ञा पत्र के बारे मे पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स व अनुज्ञा पत्र नही होना बताया। पूछने पर बताया कि हरियाणा मे डीजल सस्ता है। हम वहां से सस्ता डीजल व पेट्रोल लाकर हां राजस्थान मे बेचकर मुनाफा कमाते है। शख्स मजकुरान का सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध डीजल पेट्रोल बेचना जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खिलाफ वर्जी मे पाये जाने पर शख्सान विकास व शेरसिंह के कब्जे मे मिले तेल का नाप किया गया तो एक छोटा प्लास्टिक का ड्रम करीब 20 लीटर पेट्रोल से भरा हुआ व नो बडे ड्रम प्लास्टिक के डीजल से भरे हुए जिनमे प्रत्येक ड्रम मे करीबन 170 लीटर कुल 1530 लीटर डीजल भरा हुआ है। उक्त शख्स मजकुरान विकास व शेरसिंह के कब्जे मे मिली बिना नम्बरी पिकअप गाडी को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। मुलजिमान विकास व शेरसिंह को कर्ता जुर्म से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्द पर नमूना शील अंकित की गई। मौके पर फर्दात लेपटॉप से टाईप कर प्रिन्टर से प्रिन्ट आउट कर हस्ताक्षर करवाये गये जप्तशुदा वाहन को थाना परिसर मे खडा करवाया गया व जप्तुशुदा सैम्पल व माल को जमा मालखाना करवाया गया। इत्यादि पर फर्द पर मुकदमा नं0 67/21 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे दर्ज कर अनुसंधान किया गया। प्रकरण हाजा मे जप्तशुदा एक प्लास्टिक के ड्रम मे करीब 20 लीटर पेट्रोल व 9 प्लास्टिक के ड्रमों मे 1530 लीटर डीजल भरा हुआ है। उक्त पेट्रोल व डीजल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। पेट्रोल एवं डीजल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण मे जप्तशुदा पेट्रोल व डीजल निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि जप्तशुदा एक प्लास्टिक के ड्रम मे करीब 20 लीटर पेट्रोल व 9 प्लास्टिक के ड्रमों मे 1530 लीटर डीजल भरा हुआ है। उक्त पेट्रोल व डीजल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। पेट्रोल एवं डीजल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे

स्वीकार कर जप्तशुदा पेट्रोल व डीजल निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी सं0 2 ने विभागीय प्रतिनिधि के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी सं0 2 के खिलाफ पुलिस थाना पचेरी कलां द्वारा अ0 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट का गलत मुकदमा बनाया गया है। अप्रार्थी सं0 2 शेरसिंह का 950 लीटर डीजल तेल गलत जप्त किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 उक्त डीजल अपने स्वयं के उपयोग व उपभोग हेतु कृषि उपयोग के लिए खरीद कर लाया था। अप्रार्थी सं0 2 के नाम से एक वाहन डी0आई0 जीप नम्बर आरजे 21 सी 3239 एवं एक ट्रेक्टर नम्बर आरजे 18 आरसी 1376 के लिए डीजल खरीद किया था। अप्रार्थी सं0 2 को न तो डीजल बेचते पकडा गया है और ना ही जप्ती के समय बिकी के सबूत के तौर कोई माप आदि जप्त किये गये है। अतः अप्रार्थी को उसके हिस्से का 950 लीटर डीजल दिलवाने का आदेश प्रदान करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। चूंकि प्रकरण से संबंधित इसी न्यायालय मे दर्ज प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी सं0 110/2021 मे प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी के निस्तारण के साथ–साथ जप्तशुदा डीजल व पेट्रोल के निस्तारण के संबंध मे भी दिनांक 15.07.2021 को निम्न प्रकार आदेश पारित किया जा चुका है :

1. प्रकरण मे डीजल हरियाणा से लाया गया है। जप्त डीजल की मात्रा 1530 लीटर एवं पेट्रोल 20 लीटर है। इतनी मात्रा मे हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल एवं पेट्रोल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान मे डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने के लिए डीजल वहां से लाकर बेचने हेतु लाया जा रहा था।
2. प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। डीजल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये इस डीजल का अंतरिम निस्तारण किया जाना उचित है।उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)के तहत अधिहरण किया जाना तथा जप्त वाहन संख्या आरजे 18 जीए 6370 सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित समझते है।
3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्त डीजल 1530 लीटर (9 बडे प्लास्टिक के ड्रम जिनमे प्रत्येक मे 170 लीटर डीजल) तथा व 20 लीटर पेट्रोल एक छोटा ड्रम का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत नियंत्रित कीमत पर विक्रय करवाकर राशि को राजकोष में जमा करें जो जमा राशि एफ.आई.आर. 67/2021 (आपराधिक प्रकरण) के निर्णय के अध्ययधीन रहेगी तथा जप्त वाहन पिकअप सं0 आरजे 18 जीए 6370 को 03–03 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर वाहन स्वामी के माता–पिता मोहनलाल पुत्र श्री नाथाराम, जाति जाट, निवासी बास माना तन भाटीवाड, पुलिस थाना गुढा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं एवं संतोषदेवी पत्नि मोहनलाल, जाति जाट, निवासी बास माना तन भाटीवाड, पुलिस थाना गुढा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं को सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है।

प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त एवं दोनों पक्षों की बहस पर मनन करने के बाद हम यह विनिश्चय करते हुये कि पूर्ण में पारित आदेश सार्थक एवं कानून संगत है। न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 110/2021 मे पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 को यथावत रखा जाता है। इस प्रकरण मे अब कोई कार्यवाही शेष नही बची है।

अतः प्रकरण मे इस स्तर पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनू तथा जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.09.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं